FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

पदमाराम बनाम नरसिंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 49 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.3.20	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/3/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/3/2020	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त किये शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उप० नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/3/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 11.3.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.12.04 18:18:47 IS
Reason: SelfAttested

17/3/2020

प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण अनुपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं० आई हुई है प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत के बीच पुरानी मेड़ एवं कच्चे बने हुए है जो आंधियों की वजह से बिखर गए हैं। जिससे खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते हैं जिससे पक्षकारों के बीच तनाव बना रहता है इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि की पत्थर नेजाबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के खेत की पत्थर नेजाबंदी का आदेश दिया जावें।

अतः प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सह कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशन (...) की भूमि की पत्थर नेजाबंदी मौके पर कमीशन शुल्क 500/- जमा करवाकर करें, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो पर्चा नकल के क्रम से दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

17.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:18:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 2020 /
प्रार्थी
1.

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 297

दिनांकः– 17.3.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पदमाराम दतक पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. नरसिंगाराम पुत्र केसराराम वगैरा निवासी माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 44/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा माडपुरा बरवाला पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर कमशः 874/798, 998/655 रकबा 2.9286, 6.6338 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 298 to 302

दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पदमाराम
4. विप्रार्थीगण श्री नरसिंगाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

17.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:18:47 IST
Reason: SelfAttested